INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS IN SOCIAL SCIENCES
Peer Review, Refereed, Biannual, Multiple Language (Hindi & English), Social Science Journal, Open Access Journal
ISSN: 3107-5096(ONLINE)
VOL. 1, ISSUE 2 (DECEMBER)2025

पुस्तक समीक्षा

'स्त्रियों की पराधीनता' जॉन स्टुअर्ट मिल

मनीषा कनोजिया
शोधार्थी–पी.एचडी
राजनीति विज्ञान विभाग
मेरठ कॉलेज, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

योगेश कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ (उत्तर प्रदेश)

ARTICLE INFO
Received:03-11-2025
Accepted:15-11-2025
Published:01-12-2025

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.17637803
***PP:*145-150**

अनुवादक : प्रगति सक्सेना, राजकमल विश्व क्लासिक, नई दिल्ली

'स्त्रियों की पराधीनता' पुस्तक मिल द्वारा सन् 1861 में लिखी गई जिसका प्रकाशन 1869 में किया गया। चार अध्यायों में लिखी गई यह पुस्तक उसकी दिवंगत पत्नी हैरियट टेलर के प्रति श्रृद्धांजली है। इस पुस्तक में मिल परम्परागत रूढ़ीवादी तथा समाज द्वारा स्वीकृत पुरूषसत्तात्मक सोच पर तर्कपूर्ण आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से कुठाराघात करता है। चूंकि 'नारीवादी' विमर्श में यह अक्सर कहा जाता है कि महिलाएँ समाज में केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था के सशक्त रूप से अवस्थित हैं। इस दृष्टिकोण से पुरुष–महिला संबंध, श्रम, अधिकार, विवाह और राजनीति आदि सामाजिक क्षेत्रों में सत्ता–संबंध, उपेक्षा, सीमाएँ और संभावनाएँ शामिल होती हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल की यह रचना उस युग (विक्टोरियाई युग) में लिखी गई थी जब महिलाओं के लिए शिक्षा, मतदान, संपत्ति–अधिकार, सार्वजनिक भूमिका आदि काफी सीमित थे। यह ग्रंथ महिलाओं की सामाजिक तथा कानूनी उपस्थिति को जड़ों से चुनौती देता है और यह तर्क प्रस्तुत करता है कि महिलाओं का पुरुषों के अधीन होना न सिर्फ अन्याय है बल्कि मानव समुदाय की प्रगति में बाधक

भी है। इसलिए मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक 'स्त्रियों की पराधीनता' की समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह समीक्षा चार अध्याय में विभाजित की गई है क्योंकि इस ग्रंथ में चार मुख्य अध्याय हैं।

पुस्तक के प्रथम अध्याय में मिल यह प्रश्न उठाते हैं कि क्यों आज भी 'महिलाओं का पुरुषों के अधीन होना एक स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था है। वे बताते हैं कि यह व्यवस्था "कुदरत" में निहित है या "परंपरा" है–लेकिन उनका तर्क है कि इसे 'प्राकृतिक' मानना गलत और अतार्किक है। प्रथम अध्याय में मिल यह कहता है कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि पुरुष–महिला में प्राकृतिक अंतर (Natural Difference) है इसलिए महिलाओं का अधीन होना उचित है परन्तु मिल कहते हैं कि यह मान्यता तर्क–परख के आधार पर नहीं बल्कि प्रचलित राय पर आधारित है। वे "दासता" (Slavery) की व्यवस्था का उदाहरण देते हैं– वह व्यवस्था पहले 'प्राकृतिक' लगती थी। राजनीतिक चिंतन की परंपरा का पहला राजनीति वैज्ञानिक कहा जाने वाला अरस्तु भी दासता की व्यवस्था को प्राकृतिक बताता है और उसको वैध ठहराने की कोशिश में तर्क गढ़ता है। अरस्तु महिलाओं की सामान राजनीतिक सहभागिता को भी स्वीकार नही करता। लेकिन अब हम उसे गलत मानते हैं। इसी तरह महिलाओं की पराधीनता भी व्यवस्था–वश स्थायी हो गई है।

मिल याद दिलाते हैं कि यह व्यवस्था इतिहास, वंश, परंपरा, शक्ति–संबंध की वजह से बनी है न कि सिद्ध वैज्ञानिक या नैतिक आधार से। इसलिए इसे चुनौती देना सामाजिक प्रगति का हिस्सा है। स्त्रियों के सम्बन्ध में मिल कहता कि, "मैं यह मानने से इंकार करता हूँ कि पुरुषों की भांति स्त्रियाँ किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं। मिल कहता है कि जो व्यवस्थाएं स्त्रियों को पुरूष के पूर्णतः अधीन मानती हैं, भ्रम पर आधारित हैं क्योंकि समाज में कभी भी पुरुषवादी सत्ता के विपरीत अन्य किसी व्यवस्था को परखा ही नहीं गया है। स्त्री की प्रकृति कैसी है? वह क्या सोचती है? कैसा व्यवहार करती है? और क्या कर सकती है? इस स्थिति का स्पष्ट वर्णन स्वयं स्त्री भी करने में असमर्थ है क्योंकि समाज एवं प्राकृतिक कारण मिलकर यह असम्भव कर देते हैं कि महिलाएँ संगठित तौर पर पुरुषों की सत्ता का विरोध कर सकें। वे इस अर्थ में अन्य पराधीन वर्गों से भिन्न स्थिति में हैं क्योंकि पुरूष स्त्रियों की आज्ञाकारिता के साथ–साथ स्त्रियों की भावनाएँ भी चाहते हैं। मानव इच्छा की मुख्य वस्तुएँ, सम्मान और सामाजिक महत्वाकांक्षा की सभी चीजें समान्यतः एक स्त्री पति के माध्यम से ही पाती है। मिल ऐसे उपरोक्त, समाज

द्वारा स्वीकृत कानूनों एवं व्यर्थ नियमों तथा परम्पराओं का खण्डन करता है जो यह कहते हैं कि मजबूत बाहों वाले ही लुहार होने चाहिए स्वतन्त्रता और प्रतियोगिता ही मजबूत बाहों वाले को लुहार बनाने के लिए पर्याप्त है क्योंकि स्वतः ही कमजोर बाहों वाला अन्य किसी कार्य को करके ज्यादा कमा सकता है। इस प्रकार स्त्रियों की पराधीनता पुस्तक का प्रथम अध्याय स्त्रियों को समझने के लिए एक बुनियादी स्तर की समझ प्रदान करता है। मिल पाठक को यह सोचने पर विवश करते हैं कि जो चीज हमें "स्वाभाविक" लगती है, वह वास्तव में 'अन्वेषण' का विषय हो सकती है। नारी–उपाधीनता को वैसा नहीं देखा जाना चाहिए जैसे "हमेशा से था" बल्कि इसे सामाजिक रूप से निर्मित माना जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण बाद के नारीवादी सिद्धांतों के लिए एक शुरुआती छोर देता है।

द्वितीय अध्याय के मुख्य बिंदु– मिल कहते हैं कि विवाह के समय महिलाओं को लगभग दासी की स्थिति में रखा जाता है–पति के अधीन, संपति–अधिकार से वंचित और कानूनी रूप से गुटबद्ध। महिला–शिक्षा, विवाह से पहले– बाद में उनकी संभावनाएँ, नौकरी आदि बहुत सीमित थे और समाज ने महिलाओं को मुख्यतः पत्नी, माँ की भूमिका तक सीमित कर दिया था। मिल विवाह को स्वैच्छिक सम्बन्ध नहीं मानते बल्कि शक्ति–संबंधों से प्रभावित मानते हैं जिसमें पति–पत्नी के बीच बराबरी नहीं थी। वे कहते हैं कि यदि विवाह में महिलाओं को स्वतंत्रता और विकल्प मिलें तो विवाह का स्वरूप बेहतर होगा।

इस अध्याय में मिल स्त्री मुक्ति को लेकर तत्कालीन सत्ता को कटघरे में खड़ा करता है क्योंकि स्त्रियों की स्थिति इतनी हीन है कि उनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता है। मिल बताता है कि यूरोप के इतिहास में एक लम्बे समय तक पिता को अधिकार रहा है कि वह अपनी पुत्री को किसी के भी हवाले कर दे और उससे यह आशा की जाती है कि वह विवाह की वेदी पर जीवन पर्यन्त पति की आज्ञाकारिता के वचन से बंधी रहेंगी। इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए मिल कहता है कि मुझे इस बात को कहने में कोई मुगालता नहीं है कि सामान्यतः पत्नियों के साथ दासों जैसे व्यवहार किया जाता रहा है। यहाँ तक कि मिल आश्चर्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अरस्तु जैसा महान दार्शनिक भी दासत्व और स्वामित्व के विषय में परम्परागत सोच का शिकार हो गया है। सीमोन की भांति यह भी कहता है कि एक स्त्री को पुरूष के विरोधी गुणों से सम्पन्न किया जाता है। उसे आत्मसम्मान के स्थान पर आत्मसमर्पण की शिक्षा दी जाती है क्योंकि स्त्री की शारीरिक दासता के साथ–साथ पुरुष उसे

मानसिक दास भी बनाना चाहता है। मिल ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर अपने तर्क के माध्यम से असहमति प्रकट की कि जिन प्रथाओं का समर्थन किया जा रहा है चाहे वह दास प्रथा हो या परिवार के मुखिया की तानाशाही या राजनीतिक तानाशाही हो, इन सभी का तर्क के स्थान पर देवत्वीकरण कर दिया गया है और हमसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि हम उस प्रथा के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण से अपनी राय कायम करें जो समाज की यथास्थिति को बनाये रखने में उनके द्वारा सहायक रही है।

पुस्तक के तीसरे अध्याय में मिल महिलाओं की "नर्वस संवेदनशीलता" (Nervous Susceptibility) और "छोटे मस्तिष्क" (Smaller Brain) जैसे दावे का वे खण्डन करते हैं। मिल कहते हैं कि यदि महिलाओं को बराबर अवसर मिलें तो वे भी पुरुषों की तरह प्रदर्शन कर सकती हैं। मिल यह बताते हैं कि जब महिलाएँ शिक्षा–रोजगार से वंचित रह जाती हैं तो उनका विकास रुक जाता है और सामाजिक प्रतिभा, विविधता बाधित होती है। मिल का तर्क है कि महिलाओं को सार्वजनिक भूमिका से बाहर रखना सिर्फ इसलिए नहीं कि वे "प्रकृति–अनुकूल" नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि पुरुष–सत्ता इसे नहीं चाहती थी। वे कहते हैं, "मैं मानता हूँ कि उनकी अक्षमताएँ अन्यत्र सिर्फ इसलिए बनी हैं क्योंकि पुरुषों को अभी भी बराबरी के साथ जीना सहन नहीं होता।"

मिल पाठकों के समक्ष व स्त्रियों की पराधीनता के सम्बन्ध में तीसरे अध्याय में महिलाओं की न्यायोचित समानता से सम्बन्धित प्रश्नों को सामने रखते हुए कहता है कि मैं यह स्वीकारता हूँ कि समाज में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें महिलाएँ पुरूषों जितना कुशलतापूर्वक करने में सफल नहीं हो पायी हैं लेकिन मानसिक क्षमता पर निर्भर ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनमें महिलाओं ने उच्चतम कोटि से भी ऊपर की प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है। क्या यह बात समाज के विकास में बाधा बनने में काफी नहीं है कि उन्हें इन कार्यों को करने के लिए पुरूषों से प्रतियोगिता करने की भी अनुमति भी न दी जाये। इस प्रकार मिल ऐसी मान्यताओं का खण्डन करते हुए इतिहास के माध्यम से श्रेष्ठ महिलाओं के उदाहरण पेश करता हैं जो अपने समय में पुरुषों से अधिक बुद्धिमान प्रमाणित हुई हैं। इस तरह मिल असमानता समाप्त करने के लिए स्वतन्त्रता और समान अवसर पर बार–बार बल देता है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि मिल के विषय में एक आलोचनात्मक टिप्पणी यह है कि मिल कुछ स्थानों पर अभी भी "महिलाओं की स्वाभाविक भिन्नता" (natural difference) जैसे अवधारणाएँ छोड़ नहीं

पाते उदाहरण स्वरूप "मस्तिष्क के आकार" या "नर्वस ताप" की चर्चा। यह बाद के काल के नारीवादियों द्वारा चुनौती का विषय बनी।

स्त्रियों की पराधीनता पुस्तक के अंतिम अध्याय में पाठकों के समक्ष सवाल उठाया गया है कि अगर स्त्री वर्ग पुरुषों की भांति स्वतन्त्र होगा तो क्या मानव समाज एक बेहतर स्थिति में न होगा? वह असमानता को समाप्त करने के लिए लिंग भेद को हटाकर समान अवसर व समान सुविधाएँ देने पर बार–बार जोर देता है। मिल कहता है कि समानता महिलाओं के लिए न्याय है जिसे एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जीने का अधिकार है। इसके बिना सामाजिक खुशहाली संभव नहीं। समाज–स्तर पर यदि महिलाओं को समान अवसर मिले तो प्रतिभा का भंडार बढ़ेगा, बेहतर–समावेशी दृष्टिकोण बनेगा, राजनीति–जनता–शिक्षा–श्रम में विविधता आएगी। यह मानव–प्रगति को त्वरित करेगा। परिवार में यदि पति–पत्नी समान हों तो वह "मित्रता संघ" (union of friendship) बनेगा जिसमें सशक्त–अशक्त के बीच नहीं बल्कि समझ, सम्मान, साझेदारी होगी।

अन्त में मिल यथार्थपरक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए लिखता है कि मानव जाति के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वह नैतिक रूप से अपने मनपसंद कार्यों में सफलता प्राप्त करें किन्तु एक सुखद जीवन का यह अवसर स्त्री–पुरूष असमानता के कारण बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इस प्रकार मिल उपर्युक्त चारों अध्यायों के दौरान सावधानीपूर्वक लिंगों के बीच विद्यमान एक सहज समानता के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत पुस्तक का सकारात्मक पक्ष यह है कि पुस्तक राजनीति के नारीवादी उपागम का शास्त्रीय ग्रन्थ है। इस पुस्तक को लिखते हुए मिल ने ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। अपने पूर्ववर्तियों में मुख्यतः वह अरस्तु एवं अन्य चिंतकों के विचारों पर टिप्पणी करता है। पुस्तक का हिन्दी अनुवाद सहज, सरल एवं सुबोध है जो राजनीति विज्ञान के अध्येताओं और विषय में रूचि रखने वाले सामान्य पाठकों के लिए भी उपयोगी है। यह पुस्तक न केवल तत्कालीन यूरोपीय परिवेश में महिलाओं की स्थिति का यथार्थपरक विश्लेषण करती है अपितु उस समय के अन्य समाजों जैसे भारत में नारियों की तात्कालिक दशा का भी सफल प्रस्तुतीकरण करती है।

अपने उक्त सकारात्मक पक्षों के बावजूद भी प्रस्तुत पुस्तक की अपनी सीमाएँ है। पुस्तक में मिल द्वारा स्त्रियों की स्थिति का जिस प्रकार सामान्यीकरण किया गया है वह राजनीति वैज्ञानिक दृष्टि से

सटीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि स्त्रियों के सम्बन्ध में मिल के विचारों एवं जानकारी के स्त्रोत बहुत सीमित हैं जिसे वह पुस्तक के प्रारम्भ में स्वयं स्वीकार करता है। समकालीन सन्दर्भ में लिंग भेद और उससे उपजे वंचन का मुद्दा केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है अपितु थर्ड जेंडर के मुद्दे भी इसी दायरे में आते हैं। मिल द्वारा लिखित पुस्तक 'स्त्रियों की पराधीनता' थर्ड जेंडर के मुद्दों को संबोधित नहीं करती है। पुस्तक समीक्षा से स्पष्ट होता है कि मिल द्वारा यूरोपीय इतिहास में स्त्रियों की दासता, उत्पीड़न एवं असमान स्थिति का तार्किक प्रस्तुतीकरण किया गया है। उक्त पुस्तक में उल्लिखित विचारों का ही प्रभाव था कि ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में महिला मताधिकार, महिला समानता एवं सार्वजानिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता की मांग जोर पकड़ने लगी थी।

CITATION:

Kanojiya, M., & Kumar, Y. (2025). 'स्त्रियों की पराधीनता' जॉन स्टुअर्ट मिल. INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS IN SOCIAL SCIENCES, 1(2), 145–150.